विपत्ति आने पर सरकार साथ नहीं छोड़ेगी

सीएम ने संबल हितग्राहियों के खाते में अंतरित की 203 करोड़ रुपये की सहायता राशि

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि श्रमिकों की सेवा, कल्याण और खुशी हमारे लिए सबसे पहले है, हमारे श्रमिक अपने खून-पसीने से विकसित मप्र की नींव तैयार कर एक-एक ईंट जोड़ रहे हैं. हर परिस्थिति में श्रमिकों की कठिनाई को दूर करना सरकार का कर्तव्य है.

उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों पर विपत्ति आने, घर चलाने वाले के असामयिक निधन, अचानक आर्थिक संकट आने पर लोग साथ छोड़ दें, परंतु हमारी सरकार कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 मुश्किल समय में श्रमिकों को आर्थिक सहारा भी देती है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के श्रमिक बंधुओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने सावन के अंतिम सोमवार को श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल 2.0 योजना के तहत दी जाने वाली अनुग्रह

सहायता राशि की 11वीं किश्त के रूप में 203 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से पात्र हितग्राहियों के खातों में अंतरित की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेश के 9 हजार 149 संबल हितग्राहियों को मिली यह राशि इन सभी परिवारों में आनंद लेकर आई है. उन्होंने कहा कि संबल योजना ने प्रदेश के 1 करोड़ 84 लाख से अधिक श्रमिकों को सहारा दिया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कठिन समय में जब सभी रास्ते बंद होंगे, तब भी सरकार उनके साथ खड़ी है. यह राशि दु:ख की घड़ी में बड़ी राहत लेकर आती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर जेब में पैसे हों, तो अनेक विपत्तियों का सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछला बैकलॉग खत्म करते हुए निर्बाध रूप से श्रम सहित सभी विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि उपलब्ध करा रही है.

> पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम में वर्चुअली सहभागिता की. उन्होंने कहा कि संबल योजना के हितग्राहियों का बैकलॉग खत्म करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. आज 11वीं किश्त के रूप में उन्हें 1 जनवरी 2026 तक का भुगतान कर दिया गया है.

530 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

22 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. राज्य में शासकीय निधियों के संरक्षण और वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही निगरानी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेस सेल एसएफआईसी द्वारा डेटा एनालिटिक्स के आधार पर किए गए गहन विश्लेषण के बाद 530 से अधिक आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है.

गंभीर मामलों में संलिप्त 22 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इस सख्त निगरानी और समानांतर जांच प्रणाली से अब तक गबन एवं अनियमित ट्रांसफर की कुल 223 करोड़ रुपए की राशि शासन की संचित निधि में सफलतापूर्वक वापस कराई जा चुकी है. एसएफआईसी द्वारा वर्ष 2011 से अब तक के वित्तीय लेनदेन का

223 करोड़ रुपए वापस आए

नियमित डेटा विश्लेषण किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में कुल 315 करोड़ रुपए की राशि को संदिग्ध श्रेणी में चिन्हित कर जांच के अधीन रखा गया है. पुरानी अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से अद्यतन हुई इस राशि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन द्वारा 61 करोड़ रूपये के प्रमाणित गबन की वसूली पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही 162 करोड़ रूपये शासकीय बैंक खाते से सरकारी खजाने में जमा कराया गया है.

भ्रष्टाचार निवारण, आईटी एक्ट की कठोर धाराओं में मामले दर्ज

मामलों की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा पुलिस महानिदेशक से निवेदन किया गया था कि जांच में प्रमाणित गबन के प्रकरणों में पुलिस एफआईआर दर्ज करते समय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की कठोर एवं सुसंगत धाराएं जोड़े. इसके बाद पुलिस स्तर से आरोपियों के खिलाफ अत्यंत प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकी है.

बिजलीकर्मियों से मारपीट और चक्काजाम, 60 पर केस

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के साथ अभद्रता, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा और सड़क जाम करने के दो मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है .राजगढ़ के ब्यावरा और मुरैना के बानमोर में 14 नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. ब्यावरा ग्रामीण वितरण केंद्र के बाईहेड़ा, बरखेड़ी और नालबंदी गांवों के उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की बकाया राशि थी. नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होने पर 22 अगस्त को बिजली आपूर्ति बंद की गई थी. अगले दिन वसूली के लिए पहुंचे बिजली कर्मचारियों को ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया .इसके बाद एनएच-46 पर ट्रैक्टर, बोलेरो और कंटीली झाड़ियों से रास्ता रोककर चक्काजाम किया गया.

316 किलो मावा और मिल्क केक जब्त

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. राजधानी में जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग त्योहारों के मद्देनजर मिलावट की आशंका में लगातार कार्रवाई कर रहा है.

इसी क्रम में सोमवार सुबह नादरा बस स्टैंड पर कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई मुखबिर से मिली सूचना के आधार की. मुखबिर ने बताया था कि नादरा बस स्टैंड पर नागपुर के रास्ते बस से खाद्य पदार्थ भोपाल लाया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर 316 किग्रा मावा एवं मिल्क केक जब्त किया गया. इनकी जांच के लिए सेंपल लिए गए. जांच में पाया गया कि 150 किग्रा मावा अरिहंत डेयरी के नाम और 166 किग्रा केक लवली स्वीट्स के नाम से बुक किया गया था.

दुकानदार को हथियार दिखा कर अड़ीबाजी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 अगस्त. कमला नगर इलाके में दुकानदार को हथियार दिखा कर अड़ीबाजी का मामला सामने आया.

फरियादी नरेंद्र अहिरवार (35) निवास नया बसेरा ने पुलिस को बताया कि सोमवार सुबह आरोपी गट्टू पिस्टल अपने साथी उमेश तिलवारी, मोनू काला, समीर और अन्य के साथ बाइक से आए. तलवार दिखाकर अड़ीबाजी करते हुये 5 हजार रुपए मांगे. नरेंद्र ने रुपए देने से मना किया तो उसकी पिटाई कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

पत्नी ने पति को पीटा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 अगस्त. छोला मंदिर थाना इलाके में महिला ने अपने पति की पिटाई कर दी.

जानकारी के मुताबिक 35 साल की पत्नी ने सोमवार-रविवार की रात अपने पति को घर के एक कमरे में बंद कर कथित तौर पर पिटाई कर दी. पिटाई होने से पति के शरीर पर चोट के निशान देखे गए. पति ने ही थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की. पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि महिला का पति मजदूरी करता है. वह हररोज शराब पीकर अपने घर पहुंचता था और पत्नी के साथ मारपीट करता था. महिला ने कई बार पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई लेकिन ससुराल वाले मामला सुलझाने का बोलकर उसे मना कर देते थे. देर रोत को भी पति शराब के नशे में घर पहुंचा, जहां पत्नी ने कमरा बंद कर पति की पिटाई कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

उधारी के रुपए मांगे तो युवक की पिटाई

रातीबड़ इलाके में उधारी के रुपए को लेकर दो आरोपियों ने एक युवक की पिटाई कर दी. शिकायतकर्ता युवराज सोनगेरा (22) ने बताया कि दोस्त सुशील गौर ने कुछ रुपए उधार लिये थे, जिन्हें वापस मांगने पर सुशील का उससे विवाद चल रहा है .इस पर उसने पिटाई कर दी.

महिला के खाते से निकले 6 लाख रुपए

भोपाल. साइबर जालासजों ने कोलार इलाके में रहने वाली एक महिला के अकाउंट से करीब 6 लाख रुपये की ठगी कर दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है. 43 वर्षीय पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने मोबाइल में कोई भी लिंक या ओटीपी किसी से साझा नहीं की. इसके बावजूद भी उनके बैंक खाते से जालसाजों ने 5 लाख 98 हजार रुपये निकाल लिए. खाते से निकाली राशि महिला को तब पता चली, जब 16 अगस्त को खाते से कटौती राशि का मैसेज उन्होंने मोबाइल पर देखा. महिला ने तुरंत बैंक पहुंचकर इसकी जानकारी ली. महिला ने पहले साइबर थाने में इसकी शिकायत की.

भूख हड़ताल पर डटे फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 अगस्त. जेपी अस्पताल परिसर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के सामने चयनित फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के अभ्यर्थियों का गुस्सा अब गहराता जा रहा है.

लगातार एक सप्ताह से चल रहे शांतिपूर्ण धरने के बाद भी जब अधिकारियों की ओर से कोई ठोस आश्वासन या बातचीत की पहल नहीं हुई, तो अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी विमलेश कुमार रावत दो दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं मीनाक्षी मंडलोई ने बताया कि आला अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए और गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन या अनदेखी की गई.

अदालत के आदेश के बाद भी अटकी नियुक्ति

चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 की प्रक्रिया पूरी होने और उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश जारी किए जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहा है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी मनमाने रवैये के चलते कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने से बच रहे हैं.

पत्नी और साले ने की पिटाई

साले ने भी बहनोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 अगस्त. तलैया थाने में एक युवक ने पत्नी और साले के खिलाफ सोमवार को केस दर्ज कराया. साले की तरफ से भी मामले में अपने बहनोई के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पहली शिकायत में फरियादी अमान उर्फ अमान कुरैशी (30) निवासी इस्लामपुरा ने पुलिस को बताया कि वह लोडिंग ऑटो चलाता है. रविवार को उसका साला सलमान कुरैशी, अमान के घर पहुंचकर फोन कर उसे बुलाया. देर रात को अमान घर पहुंचा तो सलमान और अमान की पत्नी ने पहले उसके साथ गाली गलौच की. अमान का आरोप है कि सलमान ने उसके साथ मारपीट की. अमान का भाई जोएब वहां पहुंचा और मामले को शांत कराया. दूसरी ओर अमान के साले सलमान (28) निवासी टीला जमालपुरा ने अपने बहनोई अमान के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि अमान ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया था. इसकी जानकारी जब सलमान को लगी तो वह अमान के घर पहुंचा. इस दौरान अमान और जोएब ने उसकी और बहन के साथ मारपीट की.

पशु चिकित्साधिकारी दफ्तर में ताला

- बैरसिया ब्लॉक के हितग्राही हो रहे हैं परेशान
- योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है लाभ

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 24 अगस्त. ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में अधिकांश समय ताला लटके रहने से क्षेत्र के पशुपालक ओर हितग्राही विभागीय योजनाओं के फार्म जमा करने के लिए परेशान हैं.

सोमवार को गांव हर्राखेड़ा, जुनापनी से डेयरी प्लस योजना के फार्म जमा करने आए हितग्राहियों ने बताया कि तीन दिन से दफ्तर आ रहे हैं लेकिन ब्लॉक चिकित्सा

अधिकारी नहीं मिल रहे. दफ्तर के बाहर योजना के फार्म हाथ में लिए खड़े हितग्राहियों ने बताया कि डॉक्टर दिनेश कुमार साहू के दफ्तर में ताला लटका मिलता है. इस कारण विभागीय योजना डेयरी प्लस , पशु चारा बीज वितरण , गौसंवर्धन , विद्यासागर , कामधेनु , ओर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वास्तविक हितग्राही वंचित हैं. इधर गावों में पशु बांझपन निवारण शिविर , पशु स्वास्थ्य शिविर और किसान गोष्ठियों का आयोजन कागजों तक ही सिमटा हुआ है. ब्लॉक स्तर पर पशुपालन, मुर्गीपालन ओर सुअर पालन से जुड़ी योजनाएं भी जागरूकता के अभाव में दम तोड़ रही है.किसानों और पशुपालकों ने विभाग के आला अधिकारियों से जांच की मांग की है.

खाली प्लॉट में पानी जमा होने पर जुर्माना लगेगा

- जिला स्वास्थ्य समिति बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 अगस्त. वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए खाली प्लॉटों में जमा पानी के निपटान और स्पॉट फाइन के दिए निर्देश सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति बैठक में दिये गये.

बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ महिला और बाल विकास विभाग की पोषण सेवाओं की समीक्षा कर पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन की जानकारी ली. इस दौरान बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शर्मी इला तिवारी , सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा, महिला एवं बाल विकास सुनील सोलंकी व स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे.बैठक में पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स बैठक में सितंबर में आयोजित किए जा रहे पोलियो अभियान की जानकारी भी दी गई.कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की निर्धारित सभी सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जाए.

फ्लाइट मैनेजर की मौत पर पुलिस की जांच जारी

पत्नी और प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 24 अगस्त. पारवलिया सड़क थाना इलाके में फ्लाइट मैनेजर रहे मुर्तजा हसन मौत केस में अब नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने मुर्तजा की पत्नी और प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया है. करीब चार महीने बाद मुर्तजा की मौत के मामले में दोनों को आरोपी बनाया गया है.

जानकारी के मुताबिक एक एयर कंपनी के पूर्व फ्लाइट मैनेजर सैयद मुर्तजा हसन ने खुदकुशी कर ली थी. मामले में पारवलिया सड़क थाना पुलिस ने मुर्तजा के परिजनों के आरोप के तहत अत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था.

मुर्तजा की मौत को लेकर परिजनों ने मृतक की पत्नी मेहरीन और प्रेमी सैफ अली अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों ने एकस्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक विवाद के आरोप लगाए हैं. पुलिस अब मामले में सुसाइड नोट, डायरी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही. हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मनीष भटनागर पिता श्री शम्भूदयाल भटनागर, पता : 52, पार्श्व पवेलियन, इंड्स एंपायर, बावड़ियाकलां, हुजूर, भोपाल। जन्म प्रमाण पत्र मे मेरे पुत्र का नाम मानस भटनागर था जो परिवर्तित कर दक्ष भटनागर (DAKSH BHATNAGAR) कर लिया है। अब मेरे पुत्र का नाम दक्ष भटनागर (DAKSH HATNAGAR) पुत्र मनीष भटनागर के नाम से जाना पहचाना जाऐं।

पैसों के विवाद पर युवक पर तलवार से हमला

भोपाल. कोलार इलाके में सिगरेट के पैसे को लेकर दुकानदार ने एक ग्राहक पर तलवार से हमला कर दिया. आरोपी मौके से फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय राहुल चौहान निवासी महाबली नगर प्राइवेट जाब करता है. रविवार को राहुल अपने घर के पास ही आदित्य की दुकान पर गया था. राहुल ने वहां चाय पी और सिगरेट लिया. राहुल ने आदित्य को सिगरेट के 2 रुपए कम दिए, जिस पर आदित्य ने इनके महंगी होने और पूरे रुपए देने की बात कही. इस पर विवाद हो गया.

नर्सिंग छात्रों का बेमियादी आंदोलन जारी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 अगस्त. मप्र में नर्सिंग विद्यार्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन सोमवार को 17वें दिन में प्रवेश कर गया. नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले छात्र-छात्राएं लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, लेकिन अयोग्य घोषित किए गए कॉलेजों के विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है.

इस बीच मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा 31 अगस्त से 3 सितंबर तक परीक्षा करवाने की सूचना जारी कर दी गई है. जिसमें हाईकोर्ट के

आदेशानुसार योग्य पाए गए 189 कॉलेजों में अध्ययनरत और अनसूटेबल से सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किए गए 2 हजार 395 छात्र-छात्राएं परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगें. काउंसिल ने साफ किया है कि शेष अनसूटेबल (अयोग्य) संस्थानों के छात्र-छात्राओं की परीक्षा संबंधी अनुमति उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी.

पात्र छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख 25 अगस्त से 27 अगस्त तय की गई है, जबकि 28 अगस्त को विलंब शुल्क के साथ लिंक उपलब्ध रहेगी.

कार्रवाई | सात दलों के औचक निरीक्षण में मिली खामियां

घटिया सड़क निर्माण पर ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अगस्त. लोक निर्माण विभाग के औचक निरीक्षण के तहत बीते 20 अगस्त को मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, खंडवा, शहडोल, शाजापुर एवं सागर जिले में रैंडम आधार पर कुल 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया.

निरीक्षण दलों से मिले प्रतिवेदन के बाद घटिया सड़क निर्माण के मामले में संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया. निरीक्षण दलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के बाद शहडोल जिले में लोक निर्माण विभाग के तहत सरना से करकट सड़क के निर्माण कार्य की

गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार मेसर्स राम कंस्ट्रक्शन, जयसिंह नगर के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश मुख्य अभियंता, रीवा को दिए गए. गेरुई से जेमुनिहा सड़क निर्माण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली. सागर जिले में बसाहरी पीएमजीएसवाई रोड से निवाड़ी रोड के निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित उपयंत्री और अनुविभागीय अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. ठेकेदार मेसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन, विदिशा को 15 दिन में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया. मप्र भवन विकास निगम के तहत सागर में निर्माणाधीन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ोला जागीर, खुरई के भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर नोटिस दिया गया.

> निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर 26 अन्य कार्यों में आवश्यक आंशिक सुधार समय-सीमा में कराने के लिएनिर्देशित किया गया. प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी भरत यादव ने कहा कि निरीक्षण दलों की अनुशंसाओं के आधार पर सुधार कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं. प्रबंध संचालक ने वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों के मरम्मत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी इंसीडेन्ट रिस्पांस सिस्टम पर तत्काल अपडेट की जाए.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं ISMAT SALMAN ALI S/O SHOUKAT PARVEZ आयु व्यस्क निवासी: फ्लैट न-टी-04 नदीम काम्प्लेक्स नदीम रोड इब्राहिमपुरा भोपाल मेरे दस्तावेजों में पहले मेरा नाम ISMAT SALMAN दर्ज था जो की बदल कर मेरा नाम ISMAT SALMAN ALI हो गया है अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है अब इसी नाम से जाना व पेहचाना जायगा।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक कुमार, का Bureaugram Inside Magazine (मासिक पत्रिका) एवं Bureaugram.com (समाचार वेबसाइट) से दिनांक 09 जनवरी, 2026 से किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उक्त पत्रिका का RNI पंजीकरण क्रमांक: MPENG/25/A-2-7-6-8 है तथा संबंधित गुमास्ता (Shop & Establishment) पंजीयन मेरे नाम पर दर्ज है। तथापि, दिनांक 09 जनवरी, 2026 के पश्चात उक्त पत्रिका, समाचार वेबसाइट अथवा उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की संपादकीय, प्रशासनिक, वित्तीय, व्यावसायिक या अन्य गतिविधियों से मेरा कोई संबंध, अधिकार अथवा नियंत्रण नहीं है। अतः दिनांक 09 जनवरी, 2026 के बाद उक्त पत्रिका, वेबसाइट अथवा संस्था के संबंध में किए गए किसी भी कार्य, लेन-देन, प्रकाशन, अनुबंध, दायित्व, नोटिस, शिकायत, एफआईआर अथवा किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के लिए मैं किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं रहूँगा। यह सूचना सर्वसाधारण के हित एवं अभिलेख हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अभिषेक कुमार

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	86135540	संपत्ति के बदले ऋण	30-Jul-2026	6,16,703.20/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. हरिप्रसाद घीसालाल 2. ममता बाई

संपत्ति का पता: घर नंबर 29 का वह पूरा हिस्सा और जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 1106 वर्ग फीट (102.788 वर्ग मीटर) है और जो सर्वे नंबर/आबादी खसरा नंबर 631 का हिस्सा है। यह पीएच नंबर 20, ग्रामः कुंवर कोटड़ी, तहसीलः नरसिंहगढ़, जिलाः राजगढ़, मध्य प्रदेश-465685 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः केला प्रसाद का घर, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः मनोहर का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	138568359	संपत्ति के बदले ऋण	31-Jul-2026	6,13,311.10/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. बाबूलाल रामचरण 2. मांगी बाई

संपत्ति का पता: उस पूरी प्रॉपर्टी का विवरण जिसका हाउस नंबर 74 है, कुल एरिया 898 स्क्वेयर फीट है, पीएच नंबर- 03, ग्राम टोंका, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः मानसिंह भिलाला का प्लॉट, पश्चिमः धनराज का प्लॉट, उत्तरः मानसिंह भिलाला का घर, दक्षिणः सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 25.08.2026
स्थान : मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)